रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

सत्यमेव जयते

एस.जी.-डी.एल.-अ.-11042025-262406
SG-DL-E-11042025-262406

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 112] दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 9, 2025/चैत्र 19, 1947 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 10
No. 112] DELHI, WEDNESDAY, APRIL 9, 2025/CHAITRA 19, 1947 [N. C. T. D. No. 10

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

समाज कल्याण विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 24 फरवरी, 2024

फा. सं. 44(53)/2022/स0क0वि0/प्रशा–II/भर्ती नियम/हाउसफादर/हाउसमदर/मैट्रनः 6075–6080.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना संख्या जी0एस0आर0 840 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 05.08.1988 की अधिसूचना सं0फा0 21(13)/76–स0क0वि0/स्था0 के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या विलोप की जाने वाली बातों को छोडकर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा समाज कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में गृहपिता (हाउसफादर)/ गृहमाता (हाउसमदर)/मैट्रन के पद हेतु भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :—** (1) इन नियमों को गृहपिता/गृहमाता/मैट्रन, भर्ती नियमावली, 2023 कहा जाए।

(2) ये शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तरः—**उक्त पद की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर, इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

3. **भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यता इत्यादि :—**उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यता एवं इससे संबंधित अन्य मामलें, उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. **अयोग्यता :—**ऐसा कोई भी व्यक्ति—

(क) जो किसी व्यक्ति के जीवित पति/पत्नी के होते हुए विवाह करता है या विवाह का अनुबंध करता है; या

ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह अनुबंध कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्त का पात्र नहीं होगाः

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत्त है और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिये विशेष आधार है/हैं किसी भी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकेगा।

5. **शिथिल करने की शक्ति :—**जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए तथा आदेश द्वारा व्यक्तियों की किसी श्रेणी या वर्ग के संबंध में इन नियमों के किसी भी उपबंध को छूट दे सकती है।

6. **बचावः—** इन नियमों में केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय—समय पर जारी किए गए आदेश के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये उपबंधित किए जाने वाले अपेक्षित आरक्षण, आयु—सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

1.	**पदनाम**	:	गृहपिता/गृहमाता /मैट्रन
2.	**पदों की संख्या**	:	11 *(2023) *इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर है।
3.	**वर्गीकरण**	:	सामान्य केन्द्रीय सेवा, अराजपत्रित, अलिपिकीय, समूह 'ग'
4.	**पे—बैंड तथा ग्रेड पे**	:	वेतन मैट्रिक्स में स्तर—4 (25500—81100/—रुपये)
5.	**क्या चयन पद है अथवा गैर—चयन पद**	:	गैर—चयन
6.	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा**	:	18—25* वर्ष के बीच * यदि अखिल भारतीय खुली प्रतियोगिता द्वारा पदों को भरा जाना हो, तो आयु सीमा 18 वर्ष तथा 27 वर्ष के बीच होगी। (केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसरण में विभागीय उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा 40 वर्ष तक शिथिलनीय।) **टीप :** आयु सीमा निर्धारण हेतु निर्णायक तिथि दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड/सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथा विज्ञापित होगी।
7.	**सीधी भर्ती हेतु अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ**	:	**अनिवार्यः** **योग्यताएंः** (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यलय से एक मुख्य विषय के साथ समाजशास्त्र अथवा सामाजिक कार्य या

			मनोविज्ञान अथवा बाल मनोविज्ञान या अपराध विज्ञान में स्नातक। (i) माध्यमिक स्तर तक एक विषय के रूप में हिंदी का अध्ययन।
8.	**क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।**	:	आयु : नहीं शैक्षिक योग्यताएं : हां
9.	**परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो**	:	सीधी भर्ती वालों के लिए दो वर्ष
10.	**भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत**	:	75 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा 25 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा पदोन्नति राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान द्वारा उपयुक्त क्षेत्र में उपयुक्त अवधि का प्रशिक्षण अनिवार्य होगा।
11.	**यदि भर्ती पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समावेशन द्वारा होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति /प्रतिनियुक्ति/ समावेशन किया जाना है**	:	**पदोन्नति :** 8 वर्षों की नियमित सेवा सहित वेतन मेट्रिक्स स्तर–2 (19900–63200/– रुपये) में अन्वेषक तथा सीधी भर्ती हेतु यथा निर्धारित शैक्षिक तथा अन्य योग्यता रखने वाले।
12.	**यदि कोई विभागीय स्थायीकरण समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?**	:	**समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति/विभागीय स्थायीकरण समिति (पदोन्नति तथा स्थायीकरण के विचारार्थ)** 1. प्रधान सचिव/सचिव (प्रशा0 सुधा0) – **अध्यक्ष** 2. संबंधित विभागाध्यक्ष – **सदस्य** 3. उप–सचिव (सा0प्रशा0वि0) – **सदस्य** **टीप :–** यदि विभागीय पदोन्नति समिति/विभागीय स्थायीकरण समिति का अधिसूचित अध्यक्ष विभागीय पदोन्नति समिति/विभागीय स्थायीकरण समिति के किसी भी अन्य सदस्य से कनिष्ठ है, तो विभागीय पदोन्नति समिति/विभागीय स्थायीकरण समिति का वरिष्ठतम सदस्य अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।
13.	**वे परिस्थितियॉ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।**		लागू नहीं

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उप-राज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

अंजलि सहरावत, निदेशक (समाज कल्याण)

DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE

NOTIFICATION

Delhi, the 24th February, 2025

F.44(53)/2022/DSW/AdmnII/RRs House Mother/House Father/Matron/ 6075-6080.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, notification number G.S.R. 840 dated 13th July, 1959 and in supersession of notification no. F.21(13)/76-DSW/ESTT Dated 05.08.1988 except as things done or omitted to be done before such supersession the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, hereby makes the following rules regulating the method of recruitment for the post of House Mother/House Father/Matron in the Department of Social Welfare, Government of National Territory of Delhi, namely:-

1. **Short title and commencement: -** (i) These rules may be called the House Father/ House Mother/Matron Recruitment Rules, 2023.

   (ii) They shall come into force on the date of its publication in official gazette.

2. **Number of Posts, Classification and level in the pay matrix: -** The number of the said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualification, etc: -** The method of recruitment to the said post, age limit, qualification and other matters connected therewith, shall as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification: -** No person-

   (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

   (b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with a person, shall be eligible for appointment to the said post;

Provided that the Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Powers to relax: -** Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by an order and for reasons to be recorded in wiring, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving: -** Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions, required to be provided for the Scheduled Castes the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the order issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the Post	**Number of the Post**	**Classification**	**Pay Band and Grade Pay**	**Whether selection post or non-selection post**	**Age Limit for Direct Recruits**
1	2	3	4	5	6
House Father /House Mother /Matron	11* (2023) * Subject to variation dependent on work load.	General Central Services Non-Gazetted, Non Ministerial, Group 'C'	Level-4 (Rs. 25500-81100 of the pay Matrix	Non-Selection	Between 18 and 25 years* *In case of post being filled up by All India open competition, it would be between

					18 years and 27 years. (The upper-age limit is relaxable for departmental candidate up to 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by the DSSSB/ Competent Authority.

Educational and other qualifications required for direct recruits	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees**	**Period of probation, if any**
(7)	**(8)**	**(9)**
Essential Qualification: (i) Graduation from a recognized University with Sociology or Social Work or Psychology or Child Psychology or Criminology as one of the main subject. (ii) Studied Hindi as a subject up to Secondary level.	Age: No Educational Qualification: Yes.	Two years for direct recruits.

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	**In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation to be made**
(10)	**(11)**
(i) 75% by Direct Recruitment **(ii) 25% by Promotion** On promotion training for appropriate period by National Institute of Public Cooperation and Child Development in the appropriate area shall be mandatory.	**PROMOTION**: Investigator in Pay Matrix Level-2 (Rs.19900-63200) with 8 years' regular service and possessing Educational and other qualification as prescribed for Direct Recruitment.

If a Departmental Confirmation Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'C' DPC/DCC (for considering promotion and confirmation:- 1. Pr. Secretary/Secretary (AR)- Chairperson 2. Head of the Department concerned—Member 3. Deputy Secretary (GAD)—Member Note:- Senior most member of the Departmental Promotion Committee/Departmental Confirmation Committee shall act as chairperson in case the notified Chairperson of the Departmental Promotion Committee/Departmental confirmation committee happens to be junior to another member of the Departmental Promotion Committee/Departmental Confirmation Committee	Non applicable.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

ANJALI SEHRAWAT, Director (Social Welfare)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2025.04.11 16:26:12 +05'30'